

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग


क्रमांक: प.(1) चिस्वा/गुप-2/2020

जयपुर, दिनांक : 28.03.2020

एडवायजरी

विषय:- नेबुलाइजर मशीन के उपयोग के सम्बन्ध में ।

राज्य में COVID-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं । चिकित्सालयों/क्लिनिक/नर्सिंग होम/होम केयर में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा श्वसन रोग से ग्रसित OPD/IPD में उपचाररत रोगियों के उपचार में नेबुलाइजर मशीन का उपयोग किया जाता है जो की COVID-19 के साथ ही अन्य कई अन्य श्वसन रोगों के संचार का माध्यम हो सकता है, इसी क्रम में समस्त चिकित्सालयों/क्लिनिक/नर्सिंग-होम/होम केयर में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को यह एडवाइजरी जारी की जाती है की किसी भी परिस्थिति में रोगियों के उपचार हेतु नेबुलाइजर मशीन को उपयोग में लेते समय प्रत्येक मरीज हेतु प्रथम नेबुलाइजर मास्क का प्रयोग करते हुए प्रयुक्त मास्क का निस्तारण BMW के नियमानुसार करना सुनिश्चित करे ।



(रोहित कुमार सिंह)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर